



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221291
CG-DL-E-21082020-221291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942

No. 415]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

सं. 81/ 2020-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 521(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28DA के साथ पठित, धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्ष, प्रारंभ और अनुप्रयोग.- (1) ये नियम सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 हैं।

(2) ये नियम दिनांक 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।

(3) ये नियम भारत में माल के आयात पर उस स्थिति में लागू होंगे जहाँ आयातक व्यापार समझौते के संदर्भ में शुल्क की वरीयता दर का दावा करता है।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ रूप में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "शुल्क की वरीयता दर" का अर्थ है वह दर जिस पर व्यापारिक समझौते के अनुसार 'सीमा शुल्क' लगाया जाता है;

(ग) "वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट" का अर्थ व्यापारिक समझौते के अनुसार भारत में आयातित माल पर शुल्क की वरीयता दर को अनुमति प्रदान करना है;

(घ) "मूल नियमों" का अर्थ है - सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) के संदर्भ में व्यापार समझौते के लिए अधिसूचित नियम;

(ङ) "टैरिफ अधिसूचना" से तात्पर्य है- अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जारी की गई वह अधिसूचना, जो एक व्यापार समझौते के अनुसार सीमा शुल्क की वरीयता दरों को निर्दिष्ट करती है;

(च) "सत्यापन" का अर्थ है कि संबंधित मूल नियमों में निहित निर्धारित तरीके से प्रमाण पत्र की वास्तविकता की पुष्टि करना अथवा उसमें निहित जानकारी की सत्यता की पुष्टि करना;

(छ) "सत्यापन प्राधिकारी" का अर्थ है- व्यापारिक समझौते के तहत, सत्यापन- अनुरोध का जवाब देने के लिए मनोनीत किया गया निर्यातक देश या मूल देश का प्राधिकारी;

(2) यहां संदर्भित किये गए जिन शब्दों व अभिव्यक्तियों को इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है।

3. वरीयता टैरिफ दावा करने की शर्तें इस प्रकार हैं.- (1) किसी व्यापार समझौते के तहत, वरीयता दर का दावा करने के लिए आयातक या उसके एजेंट को प्रविष्टि बिल दाखिल करते समय,-

(क) प्रविष्टि-बिल में यह घोषणा करनी होगी, कि उस समझौते के तहत माल शुल्क की वरीयता दर के लिए योग्य माल की सभी अर्हताएं पूरी करता है।

(ख) प्रविष्टि -बिल में उस प्रत्येक मद के सामने संबंधित टैरिफ अधिसूचना दर्शाई गई हो जिस पर शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है;

(ग) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसमें उस प्रत्येक मद को शामिल किया गया हो, जिस शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है; तथा

(घ) प्रविष्टि बिल में मूल प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज करें, अर्थात्:

(i) मूल प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या ;

(ii) मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख;

(iii) मूल शर्तें;

(iv) दर्शाएं कि क्या संचय / संचयन लागू होता है;

(v) दर्शाएं कि क्या मूल प्रमाण पत्र किसी तीसरे देश (साथ-साथ) द्वारा जारी किया गया है; तथा

(vi) दर्शाएं कि क्या माल सीधे मूल देश से ले जाया गया है।

(2) इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के बिना उचित अधिकारी द्वारा शुल्क की वरीयता दर के दावे को अस्वीकार किया जा सकता है यदि-

(क) मूल नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार पूर्ण नहीं है और प्रारूप के अनुसार नहीं है;

(ख) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी परिवर्तन को प्रमाणित नहीं किया गया हो;

(ग) वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के बाद तैयार किया गया हो; या

(घ) ऐसी मद के लिए जारी किया गया हो जो व्यापार समझौते के तहत वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट के लिए योग्य नहीं है;

और ऐसे सभी मामलों में, प्रमाणपत्र को "लागू नहीं" के तौर पर चिह्नित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : उप-नियम (2) के वाक्य (घ) में वे मामले शामिल हैं जहां माल को संबंधित टैरिफ अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है या मूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उत्पाद सम्बन्धी नियम मद पर लागू नहीं है।

4. आयातक के लिए अपेक्षित मूल सम्बंधित जानकारी - शुल्क की वरीयता दर का दावा करने वाले आयातक को -

(क) प्रपत्र I में दर्शाया गया अनुसार यह जानकारी हो, कि क्षेत्रीय मूल्य सामग्री और उत्पाद सम्बन्धी नियम समेत मूल देश के मापदंड को ध्यान में रखते हुए मूल नियमों का पालन किया गया है एवं अनुरोध किए जाने पर उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

(ख) प्रविष्टि बिल दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक के लिए फॉर्म I से संबंधित सभी सहायक दस्तावेजों को रखें और अनुरोध किए जाने पर उचित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

(ग) उपरोक्त सूचना और दस्तावेजों की सटीकता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

5. आयातक से उन स्थितियों में सूचना की मांग की जा सकती है जहां - (1) जहां, सीमा शुल्क निकासी के दौरान या तत्पश्चात, उचित अधिकारी द्वारा यह पाया जाए कि संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है, तब वह यथा आवश्यकता नियम 4 के संदर्भ में, आयातक के दावे के औचित्य की जांच करने के लिए सूचना और समर्थक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

(2) यदि आयातक को सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तब वह ऐसी सूचना या दस्तावेज की मांगे जाने के दस कार्य दिवसों के भीतर उसे उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि उचित अधिकारी, प्राप्त की गई सूचना और दस्तावेजों के आधार पर, इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा किया गया है, तब वह दावा स्वीकार करेगा और आयातक को, उक्त जानकारी और दस्तावेजों की प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों की तारीख से लिखित रूप में सूचित करेगा।

(4) यदि आयातक निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहता है, अथवा यदि उचित अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि जो सूचना और दस्तावेजों प्राप्त हुए हैं वे संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तब, उचित अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नामित नोडल अधिकारी को नियम 6 के संदर्भ में एक सत्यापन प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों में निहित प्रावधानों के अलावा, भी कुछ स्थितियों में प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, लिखित कारणों के आधार पर बिना सत्यापन के शुल्क की वरीयता दर के दावे को अस्वीकार कर सकता है जैसे:-

(क) यदि आयातक दावा करने से इंकार कर देता है; या

(ख) आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सूचना और दस्तावेज दर्ज किए गए हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि माल, संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों के अनुसार नहीं है।

6. सत्यापन का अनुरोध.- (1) निम्न स्थितियों में उचित अधिकारी, सीमा शुल्क निकासी या तत्पश्चात, सत्यापन प्राधिकारी से मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं:

(क) यदि व्यापार समझौते के संदर्भ में निर्यातक देश से प्राप्त किया गया सील, मुहरों और हस्ताक्षरों के मूल नमूनों से तुलना करने पर बेमेल पाया जाए तब ऐसे कारणों के आधार पर प्रमाण पत्र की सत्यता या प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है;

(ख) यदि मूल प्रमाण पत्र में वर्णित किए गए अनुसार मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या आयातक द्वारा शुल्क की वरीयता दर का जो दावा किया गया है वह अवैध है; अथवा

(ग) इस बात की दृढ़ पुष्टि करने और यह सत्यापित करने के लिए कि क्या माल, मूल मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, यादृच्छिक आधार पर सत्यापन किया जा रहा है।

साथ ही खंड (ख) के संदर्भ में एक सत्यापन अनुरोध उसी स्थिति में किया जा सकता है यदि आयातक नियम 5 के तहत मांगी गई अपेक्षित सूचना निर्धारित तारीख तक उपलब्ध कराने में विफल रहता है अथवा आयातक द्वारा प्रदान की गई सूचना अपर्याप्त पाई जाती है। तब सत्यापन प्राधिकारी से विशिष्ट सूचना की मांग करनी होगी जो माल की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के संदर्भ में प्राप्त अधूरी है या निर्दिष्ट नहीं है, अतिरिक्त सूचना या सत्यापन-दौरे के लिए सत्यापन प्राधिकारी से उसी पद्धति से अनुरोध किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित व्यापार करार के मूल नियमों के तहत बताया गया है जिसके तहत आयातक ने वरीयता टैरिफ की मांग की है।

(3) यदि इस नियम के संदर्भ में कोई सत्यापन अनुरोध किया जाता है, तो अनुरोध करते समय प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्न प्रकार से समय-सीमा को सत्यापन प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा:

(क) संबंधित व्यापार करार में निर्धारित की गई समयसीमा; या

(ख) करार में इस प्रकार की समयावधि न होने पर, अनुरोध किए जाने के साठ दिन के भीतर।

(4) जहां उप-नियम (1) के खंड (क) या (ख) के संदर्भ में आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी के दौरान सत्यापन शुरू किया जाता है,

(क) सत्यापन पूरा होने तक ऐसे माल के वरीयता टैरिफ समाधान का निलंबन किया जा सकता है;

(ख) सत्यापन के लिए अनुरोध करते समय सत्यापन प्राधिकारी को वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट के निलंबन के कारणों की जानकारी दी जाएगी; तथा

(ग) आयातक के अनुरोध पर, उचित अधिकारी, माल का अनंतिम रूप से मूल्यांकन करके माल की निकासी कर सकता है व इसके लिए आयातक को सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होती है, यह राशि, अधिनियम की धारा 18 के तहत अनंतिम रूप से मूल्यांकित किए गए शुल्क और दावा की गई वरीयता दर के मध्य अंतर की राशि के बराबर होगी।

(5) इस नियम के तहत सत्यापन के सभी अनुरोधों को बोर्ड द्वारा नामित किए गए नोडल कार्यालय के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

(6) यदि इस नियम में मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होती है, तब उचित अधिकारी, सूचना प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर अथवा यदि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क की अनुमति हो तो बढ़ाई गई अवधि के भीतर सत्यापन प्रक्रिया का समापन करेगा।

साथ ही जहां संबंधित मूल नियमों में, सत्यापन को अंतिम रूप देने के लिए एक समयावधि निर्धारित की गई है, वहां उचित अधिकारी उस समयावधि के भीतर सत्यापन को अंतिम रूप देगा।

(7) उचित अधिकारी, निम्न परिस्थितियों में बिना किसी सत्यापन के वरीयता दर के दावे को अस्वीकार कर सकता है:

(क) सत्यापन प्राधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन अनुरोध का जवाब देने में विफल रहता है;

(ख) सत्यापन प्राधिकारी इस नियम में प्रदान की गई सूचना को, इस नियम के साथ पठित मूल नियमों में उपलब्ध कराई गई पद्धति के अनुसार उपलब्ध नहीं कराता है; या

(ग) सत्यापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना और दस्तावेज और जो पहले से ही दर्ज हैं, वे इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि माल संबंधी मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों के अनुसार नहीं है।

7. समान माल.- (1) जहां यह निर्धारित किया जाता है कि यदि किसी निर्यातक या निर्माता द्वारा तैयार किया गया माल मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तब प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क बिना कोई सत्यापन किए, ऐसे निर्धारण से पहले या तत्पश्चात, एक ही निर्यातक या निर्माता द्वारा आयातित एक ही प्रकार के समान के लिए, दायर किए गए वरीयता दर के अन्य दावों को अस्वीकार कर सकते हैं।

(2) जहां उप-नियम (1) के तहत समान वस्तुओं पर किया गया दावा खारिज कर दिया गया हो, तब ऐसी स्थिति में प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क,

(क) आयातक को लिखित रूप में अस्वीकृति के कारणों की सूचना देता है, जिसमें ऐसे मामलों का विवरण भी शामिल है, जिनमें यह स्थापित किया गया था कि एक ही निर्यातक या निर्माता द्वारा तैयार किया गया एक ही तरह का माल मूल मानदंडों को संतुष्ट नहीं करता; तथा

(ख) जब प्राप्त सूचना व दस्तावेजों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाए कि विनिर्मित अथवा अन्य मूल सम्बन्धी परिस्थितियों में निर्यातक या निर्माता द्वारा संशोधन किया गया है जिससे व्यापार समझौते के तहत मूल नियमों की मूल आवश्यकता को पूरा किया जा सके, तत्पश्चात एक ही प्रकार के माल पर वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट को प्रत्याशित प्रभावों के साथ फिर से शुरू करेगा।

8. विविध.- (1) नियम 5 के तहत यदि आयातक निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल रहता है, अथवा ये सिद्ध हो जाने पर कि वह इन नियमों के तहत प्रस्तुत की गई सूचना की सटीकता और सत्यता सुनिश्चित नहीं कर पाया है, तो उचित अधिकारी, इन नियमों और अधिनियम के तहत अपेक्षित किसी भी अन्य कार्रवाई के बावजूद, अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, आयातक द्वारा शुल्क की वरीयता दर के दावे के साथ दायर की गई सभी अनुवर्ती बिल-प्रविष्टियों के मूल्यांकन का सत्यापन करेगा, जिससे व्यापार समझौते के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।

मूल्यांकन के अनिवार्य सत्यापन की प्रणाली को ऐसी स्थिति में समाप्त किया जा सकता है यदि आयातक ऐसा प्रस्तुत कर पाए कि वह अधिनियम की धारा 28 डीए के तहत पर्याप्त रिकॉर्ड-आधारित नियंत्रकों के माध्यम से, आवश्यकतानुसार उचित देखरेख कर रहा है।

(2) यदि यह सिद्ध हो जाए कि आयातक ने, व्यापारिक-समझौते का अनुचित लाभ उठाने के इरादे से, तथ्यों को दबा दिया है, जानबूझकर गलत बयान दिया है अथवा विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सांठ-गांठ की है, तब ऐसी स्थिति में उसका, शुल्क की वरीयता दर का दावा खारिज किया जाएगा और उस पर, अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(3) इन नियमों के प्रावधान और मूल नियमों के प्रावधान के बीच टकराव की स्थिति होने पर, मूल नियमों का प्रावधान प्रबल होगा।

(4) यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, यथावश्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के प्रावधानों में यथावश्यक छूट प्रदान कर सकती है।

प्रपत्र 1

(कृपया नियम 4 देखें)

खण्ड-I

(इस प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 घक की शर्तों के अनुसार, शुल्क के अधिमान्य दर के लिए दावा करने वाले एक आयातक के लिए पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें, किसी देश में उत्पत्ति के मानदंडों सहित क्षेत्रीय मूल्य सामग्री और उत्पाद विशिष्ट मानदंड, व्यापार समझौतों में उत्पत्ति के विशिष्ट नियमों से संतुष्ट होना आवश्यक है।

2. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, इस प्रपत्र में न्यूनतम जानकारी की एक सूची है, जो सामान आयात करते समय एक आयातक के पास होनी चाहिए।

3. इसके अलावा धारा 28 घक के तहत आयातक द्वारा दी गयी जानकारी तथा वरीयता दर के दावे की सटीकता और सत्यता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि किसी देश में मूलमानदंडों का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, भी प्राप्त की जा सकती है।

4. जहां भी आवश्यक हो, प्रपत्र में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की व्याख्या सामान्य मार्गदर्शन के लिए दी गयी है। अधोलिखित सूची में प्रत्येक शब्द की सटीक परिभाषा में प्रत्येक व्यापारिक समझौते के मूल नियमों से भिन्नता हो सकती है। इसलिए, आयातको को यह सलाह दी जाती है कि सम्बंधित मूल नियमों का भी संदर्भ लें, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है;

(i) पूर्णतः प्राप्त माल (डब्ल्यू ओ):- किसी भी गैर- उत्पादित इनपुट सामग्री के बना उत्पादित या प्राप्त माल।

(ii) माल जो कि गैर:- उत्पादित का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं: अर्थात् गैर पूर्णतः प्राप्त माल ऐसे माल को मूलतः- उत्पादित माल के रूप में आने के लिए किसी देश में पर्याप्त परिवर्तन से गुजरना आवश्यक है। इन मानदंडों को संयोजित या स्वसंपूर्ण में निम्नलिखित विधि का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है, जो किसी माल के लिए दिए गए मानदंडों के आधार पर होता है;

(क) टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन (सीटीसी);

(ख) क्षेत्रीय या घरेलू मूल्य सामग्री (आर वीसी / डीवीसी); तथा

(ग) प्रक्रिया नियम

(iii) मूल्य सामग्री विधि :- इस नियम की आवश्यकता है कि किसी माल को मूलतः माने जाने के लिए माल के मूल्य का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत उस देश में मूलतः उत्पादित हो। उत्पादित माल को ऐसे मूलतः माने जाने के लिए मूल्यवर्धन और सूत्र के घटक में समझौतों के अनुसार भिन्नता हो सकती है।

(iv) टैरिफ वर्गीकरण (सीटीसी) विधि में परिवर्तन :- इस मूल मानदंड के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, माल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली गैर मूल सामग्री का एच एस वर्गीकरण (जैसे अध्याय स्तर, शीर्षक स्तर या उप शीर्षक स्तर जैसा कि मूलतः उत्पादित माल के नियमों में आवश्यक हो) अन्तिम माल के समान नहीं होना चाहिए।

व्यापार समझौते की आवश्यकताओं के आधार पर अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए माल के अध्याय (सीसी), शीर्षक (सीटीएच) या उपशीर्षक स्तर (सीटीएसएच) या इनमें से किसी भी स्तर में परिवर्तन से गुजरना होगा। उत्पादकों और/या नियतिकों को माल के अंतिम रूप और गैर मूलतः कच्चे माल के एचएस वर्गीकरण की जानकारी होना आवश्यक है,

(v) प्रक्रिया नियम विधि:- इस नियम के अनुसार मूलतः उत्पादित माल के रूप में जाना जाने के लिए किसी माल को उत्पादित देश में किसी विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया से उत्पादित होना आवश्यक है।

ध्यान दें, एक ही माल के लिए अलग-अलग व्यापार समझौतों में अलग-अलग मानदंड तय किए जा सकते हैं।

(vi) साधारण नियम बनाम उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर):- कई व्यापार समझौतों में उन सभी माल के लिए एक ही नियम है, जो गैर-मूल सामग्री का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। कुछ समझौतों में, कुछ या सभी टैरिफ शीर्षकों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) हैं। माल के एचएस वर्गीकरण के आधार पर, यह देखा जाना आवश्यक है कि मूलउत्पाद का दावा करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया है।


(vii) नगण्य:- यह प्रावधान यह अनुमित देता है कि गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री जो लागू नियम को संतुष्ट नहीं करती है, की अवहेलना की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी सामग्रियों की समग्रता माल के मूल्य या वजन में विशिष्ट प्रतिशत से अधिक न हो। यह प्रावधान समझौतों में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और समझौता दर समझौता प्रतिशत में भी भिन्नता हो सकती है।

(viii) संचयन/संग्रहण:- "संग्रहण/संचयन" की अवधारणा ऐसे देशों को अनुमति देते हैं जो उत्पादन को साझा करने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते का हिस्सा है और संयुक्त रूप से मूल प्रावधानों के प्रासंगिक नियमों का पालन करते हैं, अर्थात् व्यापार समझौते में शामिल किसी देश के उत्पादक को व्यापार समझौते में शामिल अन्य किसी देश से मूलतः उत्पाद नियमों को लागू करने के उद्देश्य से उस इनपुट की उत्पादित मूल स्थिति को बनाए रखते हुए, इनपुट सामग्री के उपयोग की अनुमति है, अन्यथा संग्रहण/संचयन की अवधारणा या उत्पत्ति के संचयी नियमों की अवधारणा समझौते में शामिल एक देश के उत्पादों को समझौते में शामिल दूसरे देश में उत्पादों को और संसाधित करने या उसने कुछ मिलाने की अनुमति देती है। इस तरह के संचयन की प्रकृति और सीमा क्षेत्र एक समझौते में परिभाषित होता है और इसमें समझौता दर समझौता भिन्नता हो सकती है। संचयन द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, विकर्ण इत्यादि हो सकता है।

(ix) अप्रत्यक्ष/तटस्थ तत्व:- माल के उत्पादन, परीक्षण या निरीक्षण में प्रयुक्त सामग्री को संदर्भित करते हैं किंतु भौतिक रूप से माल या इमारतों के रखरखाव में उपयोग की जाने वाली सामग्री या माल के उत्पादन से जुड़े उपकरणों के संचालन में शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा और ईंधन, संयंत्र और उपकरण, जो कि माल इत्यादि के अंतिम रूप का हिस्सा नहीं होते हैं। व्यापार समझौतों के आधार पर, इन तत्वों को मूल या गैर उत्पत्ति के रूप में माना जा सकता है।

(x) खुदरा बिक्री के लिए पैकेट और पैकिंग सामग्री के उपचार के नियम ऐसे नियम:- ऐसे नियम यह बताते हैं कि अंतिम मूल्य सामग्री या टैरिफ परिवर्तन की गणना करने के लिए ऐसी सामग्री का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा।

(xi) प्रत्यक्ष खेप:- कई समझौतों में यह शर्त रखी जाती है कि मूलतः उत्पाद का दावा करने के लिए माल को उत्पादित देश से सीधे आयातित देश में भेजा जाना चाहिए। निश्चित दस्तावेजों को दिखाए जाने के विषयाधीन व्यापार समझौतों में कुछ छूट भी दी जा सकती है।



खण्ड II

(इसे आगम-पत्र के भरे जाने के बाद भरा जाना है)

- (क) आयातकर्ता का नाम:
- (ख) आगम-पत्र की संख्या और तारीख:
- (ग) सीमाशुल्क स्टेशन, जहां आगम-पत्र भरा गया हो:
- (घ) माल जिसपर शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है: :

क्रम संख्या	विवरण	वर्गीकरण (8 अंक)

खण्ड III

(माल के आयात के पहले निम्नलिखित जानकारी रहनी चाहिये)

भाग क :

1. आयातित माल के बारे में मूलतः उत्पादन के देश में अपनायी गयी उत्पादन-प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण दें। साथ ही, बताएं कि मूलतः उत्पादन नियमावली में विनिर्दिष्ट में से मूलतः उत्पादन की किस श्रेणी का दावा किया गया है। जैसे कि WO, RVC + CTH/CTSH या CTH या CC या RVC, आदि।

[WO: पूर्णतया प्राप्त; RVC: क्षेत्रीय मूल्य अवयव; CTH: टैरिफ़ शीर्ष में परिवर्तन; CTSH: टैरिफ़ उप-शीर्ष में परिवर्तन; CC: अध्याय में परिवर्तन]

नोट 1: जहां माल के पूर्णतया प्राप्त होने का दावा किया गया है वहाँ उस प्रक्रिया का उल्लेख करें जिसके आधार पर यह दावा किया गया है कि यह इस श्रेणी में आता है। हर व्यापारिक करार में एक विशेष नियम के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया की सूची दी गयी होती है और यह करार दर करार भिन्न-भिन्न होती है।

उदाहरणार्थ:

- किसी भू-क्षेत्र में शिकार करके या जाल फैला कर, या पार्टी के आंतरिक जल-क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में मत्स्य पालन या जल-कृषि करके प्राप्त माल:
- उपरोक्त वाक्य में संदर्भित माल से, फैक्ट्री के जहाज पर, उत्पादित माल, बशर्ते कि फैक्ट्री का ऐसा पंजीकृत हो या पार्टी के रेकार्ड में हो और उसपर इसका ध्वज लगा हो।

नोट 2: यदि ऐसा माल 'पूर्णतया प्राप्त, की श्रेणी में नहीं आता है तो मूलतः उत्पादन के देश में अपनाई गयी विनिर्माण/प्रक्रिया के बारे में अवश्य पता लगाया जाना चाहिये।

माल का विवरण	उत्पादन की प्रक्रिया	मूल मानदंड की श्रेणी
1.		
2.		

भाग ख:

(इसे तब भरा जाना है जब मूल मानदंड की श्रेणी 'पूर्णतया प्राप्त' की नहीं है, और इसे आयात किए जानेवाले प्रत्येक माल के बारे में तथा अलग-अलग पन्ने में भरा जाना है)

1. इस अनुरोध से संबन्धित प्रत्येक मूल सामग्री या ऐसे माल के उत्पादन में प्रयुक्त घटक के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें। यदि किसी मूल सामग्री/घटक का प्रयोग न हुआ हो तो वहाँ 'कोई नहीं' लिखें-

आयात के अंतर्गत आनेवाले माल का विवरण और उसका वर्गीकरण (8 अंक):

मूल सामग्री या घटक का विवरण	क्या अंतिम रूप से तैयार माल के उत्पादक के द्वारा विनिर्मित है	क्या उत्पादक ने किसी स्थानीय तीसरे पक्षकार से खरीदा है	यदि किसी तीसरे पक्षकार से खरीदा गया हो तो क्या माल के अंतिम उत्पादक ने इन घटकों के मूलतः उत्पादन से समबन्धित अनुरूपता और दस्तावेजी प्रमाण लिया है?
	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)
1.			
2.			

नोट:- यदि तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए गए किसी भी घटक के मूल का पता लगाया जाना संभव न हो तब उसे गैर-उत्पादित माना जाएगा।

2.

(क)	क्या नग्नता के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तो उस सामग्री व लागू होने वाले मूल्य का प्रतिशत और मात्रा बताएं।
(ख)	क्या संचयन/संग्रहण के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तो संचयन की पद्धति और सीमा बताएं।
(ग)	क्या किसी अन्य मानदण्ड जैसे अप्रत्यक्ष/ तटस्थ सामग्री, पैकिंग सामग्री के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तब प्रयोग किए गए मानदण्ड की जानकारी दें। सामग्री के बारे में बताएं।
(घ)	क्या मूल उत्पत्ति का मानदण्ड सामग्री के मूल्य पर आधारित है?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें- <ul style="list-style-type: none"> (i) स्थानीय मूल्य सामग्री का प्रतिशत (ii) वे घटक जिनसे मूल्य में वृद्धि होती है) जैसे -सामग्री, लाभ, श्रम, ऊपरी लागत(
(ङ.)	क्या मूल मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए सीटीसी (CTC) नियम लागू किए गए हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तब माल के उत्पादन में प्रयोग किए गए गैर उत्पादित माल/घटक के एच एस (HS)की जानकारी दें।
(च)	इस निवेदित माल की मूल उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रक्रिया नियम लागू किए गए हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तो लागू किए गए नियमों की जानकारी प्रदान करें।
(छ)	क्या सीओओ (COO) को पूर्वव्यापी रूप से जारी किया गया है ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि हां, तो इसका कारण बताएं।
(ज)	क्या प्रश्रुत खेप को मूल उत्पादित देश से सीधे भेज दिया गया है?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं यदि नहीं, तब क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि यह कार्य सम्बन्धित करार के प्रावधानों के अनुसार किया गया है? यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि माल प्रत्यक्ष खेप की निर्धारित शर्तों पर खरा उतरता है?

[फा .सं.15021/18/2020(आईसीडी)]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

No. 81/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 521 (E).—In exercise of the powers conferred by section 156 read with section 28DA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020.

- (2) They shall come into force on 21st day of September, 2020.
- (3) They shall apply to import of goods into India where the importer makes claim of preferential rate of duty in terms of a trade agreement.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (b) “Preferential rate of duty” means rate at which customs duty is charged in accordance with a trade agreement;
- (c) “Preferential tariff treatment” means allowing preferential rate of duty to goods imported into India in accordance with a trade agreement;
- (d) “Rules of Origin” means rules notified for a trade agreement in terms of sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (e) “Tariff notification” means notification issued under sub-section (1) of section 25 of the Act specifying preferential rates of customs duty in accordance with a trade agreement;
- (f) “Verification” means verifying genuineness of a certificate of origin or correctness of the information contained therein in the manner prescribed by the respective Rules of Origin;
- (g) “Verification Authority” means the authority in exporting country or country of origin, designated to respond to verification request under a trade agreement.
- (2) The words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Preferential tariff claim.- (1) To claim preferential rate of duty under a trade agreement, the importer or his agent shall, at the time of filing bill of entry,-

- (a) make a declaration in the bill of entry that the goods qualify as originating goods for preferential rate of duty under that agreement;
- (b) indicate in the bill of entry the respective tariff notification against each item on which preferential rate of duty is claimed;
- (c) produce certificate of origin covering each item on which preferential rate of duty is claimed; and
- (d) enter details of certificate of origin in the bill of entry, namely:
- (i) certificate of origin reference number;
 - (ii) date of issuance of certificate of origin;
 - (iii) originating criteria;
 - (iv) indicate if accumulation/cumulation is applied;
 - (v) indicate if the certificate of origin is issued by a third country (back-to-back); and
 - (vi) indicate if goods have been transported directly from country of origin.
- (2) Notwithstanding anything contained in these rules, the claim of preferential rate of duty may be denied by the proper officer without verification if the certificate of origin-
- (a) is incomplete and not in accordance with the format as prescribed by the Rules of Origin;
 - (b) has any alteration not authenticated by the Issuing Authority;

- (c) is produced after its validity period has expired; or
- (d) is issued for an item which is not eligible for preferential tariff treatment under the trade agreement;

and in all such cases, the certificate shall be marked as “INAPPLICABLE”.

Explanation: Clause (d) of sub-rule (2) includes the cases where goods are not covered in the respective tariff notification or the product specific rule mentioned in the certificate of origin is not applicable to the goods.

4. Origin related information to be possessed by importer.- The importer claiming preferential rate of duty shall-

- (a) possess information, as indicated in Form I, to demonstrate the manner in which country of origin criteria, including the regional value content and product specific criteria, specified in the Rules of Origin, are satisfied, and submit the same to the proper officer on request.
- (b) keep all supporting documents related to Form I for at least five years from date of filing of bill of entry and submit the same to the proper officer on request.
- (c) exercise reasonable care to ensure the accuracy and truthfulness of the aforesaid information and documents.

5. Requisition of information from the importer.- (1) Where, during the course of customs clearance or thereafter, the proper officer has reason to believe that origin criteria prescribed in the respective Rules of Origin have not been met, he may seek information and supporting documents, as may be deemed necessary, from the importer in terms of rule 4 to ascertain correctness of the claim.

(2) Where the importer is asked to furnish information or documents, he shall provide the same to the proper officer within ten working days from the date of such information or documents being sought.

(3) Where, on the basis of information and documents received, the proper officer is satisfied that the origin criteria prescribed in the respective Rules of Origin have been met, he shall accept the claim and inform the importer in writing within fifteen working days from the date of receipt of said information and documents.

(4) Where the importer fails to provide requisite information and documents by the prescribed due date or where the information and documents received from the importer are found to be insufficient to conclude that the origin criteria prescribed in the respective Rules of Origin have been met, the proper officer shall forward a verification proposal in terms of rule 6 to the nodal officer nominated for this purpose.

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs may, for the reasons to be recorded in writing, disallow the claim of preferential rate of duty without further verification, where:

- (a) the importer relinquishes the claim; or
- (b) the information and documents furnished by the importer and available on record provide sufficient evidence to prove that goods do not meet the origin criteria prescribed in the respective Rules of Origin.

6. Verification request.- (1) The proper officer may, during the course of customs clearance or thereafter, request for verification of certificate of origin from Verification Authority where:

- (a) there is a doubt regarding genuineness or authenticity of the certificate of origin for reasons such as mismatch of signatures or seal when compared with specimens of seals and signatures received from the exporting country in terms of the trade agreement;

(b) there is reason to believe that the country of origin criterion stated in the certificate of origin has not been met or the claim of preferential rate of duty made by importer is invalid; or

(c) verification is being undertaken on random basis, as a measure of due diligence to verify whether the goods meet the origin criteria as claimed:

Provided that a verification request in terms of clause (b) may be made only where the importer fails to provide the requisite information sought under rule 5 by the prescribed due date or the information provided by importer is found to be insufficient. Such a request shall seek specific information from the Verification Authority as may be necessary to determine the origin of goods.

(2) Where information received in terms of sub-rule (1) is incomplete or non-specific, request for additional information or verification visit may be made to the Verification Authority, in such manner as provided in the Rules of Origin of the specific trade agreement, under which the importer has sought preferential tariff treatment.

(3) When a verification request is made in terms of this rule, the following timeline for furnishing the response shall be brought to the notice of the Verification Authority while sending the request:

(a) timeline as prescribed in the respective trade agreement; or

(b) in absence of such timeline in the agreement, sixty days from the request having been communicated.

(4) Where verification in terms of clause (a) or (b) of sub-rule (1) is initiated during the course of customs clearance of imported goods,

(a) the preferential tariff treatment of such goods may be suspended till conclusion of the verification;

(b) the Verification Authority shall be informed of reasons for suspension of preferential tariff treatment while making request of verification; and

(c) the proper officer may, on the request of the importer, provisionally assess and clear the goods, subject to importer furnishing a security amount equal to the difference between the duty provisionally assessed under section 18 of the Act and the preferential duty claimed.

(5) All requests for verification under this rule shall be made through a nodal office as designated by the Board.

(6) Where the information requested in this rule is received within the prescribed timeline, the proper officer shall conclude the verification within forty five days of receipt of the information, or within such extended period as the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs may allow:

Provided that where a timeline to finalize verification is prescribed in the respective Rules of Origin, the proper officer shall finalize the verification within such timeline.

(7) The proper officer may deny claim of preferential rate of duty without further verification where:

(a) the Verification Authority fails to respond to verification request within prescribed timelines;

(b) the Verification Authority does not provide the requested information in the manner as provided in this rule read with the Rules of Origin; or

(c) the information and documents furnished by the Verification Authority and available on record provide sufficient evidence to prove that goods do not meet the origin criteria prescribed in the respective Rules of Origin.

7. Identical goods.— (1) Where it is determined that goods originating from an exporter or producer do not meet the origin criteria prescribed in the Rules of Origin, the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs may, without further verification, reject other claims of preferential rate of

duty, filed prior to or after such determination, for identical goods imported from the same exporter or producer.

(2) Where a claim on identical goods is rejected under sub-rule (1), the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs shall,

(a) inform the importer the reasons of rejection in writing including the detail of the cases wherein it was established that the identical goods from the same exporter or producer did not satisfy the origin criteria; and

(b) restore preferential tariff treatment on identical goods with prospective effect, after it is demonstrated on the basis of information and documents received, that the manufacturing or other origin related conditions have been modified by the exporter or producer so as to fulfill the origin requirement of the Rules of Origin under the trade agreement.

8.Miscellaneous. – (1) Where an importer fails to provide requisite information and documents by the due date prescribed under rule 5, or where it is established that he has failed to exercise reasonable care to ensure the accuracy and truthfulness of the information furnished under these rules, the proper officer shall, notwithstanding any other action required to be taken under these rules and the Act, verify assessment of all subsequent bills of entry filed with the claim of preferential rate of duty by the importer, in terms of sub-section (2) of section 17 of the Act, in order to prevent any possible misuse of a trade agreement. The system of compulsory verification of assessment shall be discontinued once the importer demonstrates that he is taking reasonable care, as required under section 28DA of the Act, through adequate record-based controls.

(2) Where it is established that an importer has suppressed the facts, made wilful mis-statement or colluded with the seller or any other person, with the intention to avail undue benefit of a trade agreement, his claim of preferential rate of duty shall be disallowed and he shall be liable to penal action under the Act or any other law for the time being in force.

(3) In the event of a conflict between a provision of these rules and a provision of the Rules of Origin, the provision of the Rules of Origin shall prevail to the extent of the conflict.

(4) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, relax such provisions of these rules for such class of persons as may be deemed necessary.

Form I

(Please refer to rule 4)

Section I

(Guidance for filing up this Form)

In terms of section 28DA of the Customs Act, 1962, an importer making a claim for preferential rate of duty is required to possess sufficient information as regards the manner in which country of origin criteria, including the regional value content and product specific criteria, specified in the rules of origin in the trade agreement, are satisfied.

2. For the above purpose, this Form contains a list of basic minimum information which an importer is required to possess while importing the goods.


3. Section 28DA of the Act further requires that the importer shall exercise reasonable care to accuracy and truthfulness of the information supplied and the preferential claim. Hence, any additional information, as deemed fit to ascertain correctness of the country of origin criterion, may also be obtained.

4. Wherever necessary, technical terms used in the Form have been explained as below for general guidance. Each trade agreement, however, has its own set of Rules of Origin, and precise definition of each of the term listed below may vary. Importers are, therefore, advised to refer to the respective Rules of Origin also, as notified in terms of sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975.

i. **Goods Wholly Obtained (WO):** Goods produced or obtained without any non-originating input material incorporated.

- ii. **Goods that are produced using non-originating materials**, i.e. not Wholly Obtained, are required to undergo substantial transformation in a country for the good to be qualified as originating. This criterion can be met using following method in combination or standalone, depending upon the criteria assigned for a good,-
 - (a) Change in Tariff Classification (CTC);
 - (b) Regional or Domestic Value Content (RVC/DVC); and
 - (c) Process rule.
- iii. **Value Content Method:** This rule requires that a certain minimum percentage of the good's value originates in a country for the good to be considered as originating. The components of value and formula for calculating such value addition may vary from agreement to agreement.
- iv. **Change in Tariff Classification (CTC) Method:** To qualify under this origin criterion, non-originating materials that are used in the production of the good must not have the same HS classification (e.g. Chapter level, Heading level or Sub Heading Level as may be required in the Rules of Origin) as the final good. Depending on the Trade Agreement requirements, the good would have to undergo either a change in Chapter (CC), Heading (CTH) or Sub Heading level (CTSH) in order to qualify for preferential treatment under the FTA. Producers and/or exporters should know the HS classification of the final good and the non-originating raw materials.
- v. **Process Rule Method:** This rule requires the good which is being considered as originating, to be produced through specific chemical process in the originating country.

Note: Same good may be assigned different originating criteria in different trade agreements.
- vi. **General Rule vs Product Specific Rule (PSR):** Many trade agreements have a single rule for all goods that are produced using non-originating materials. In some agreements, for some or all tariff headings there are Product Specific Rules (PSRs). Depending on the HS classification of the good, it needs to be seen which criteria has been used to claim origin.
- vii. **De minimis:** This provision allows that non-originating materials that do not satisfy an applicable rule may be disregarded, provided that the totality of such materials does not exceed specific percentages in value or weight of the good. This provision may or may not be there in an agreement and the percentage also varies from agreement to agreement.
- viii. **Cumulation/ Accumulation:** The concept of "accumulation"/"cumulation" allows countries which are part of a preferential trade agreement to share production and jointly comply with the relevant rules of origin provisions, i.e. a producer of one participating country of a trade agreement is allowed to use input materials from another participating country without losing the originating status of that input for the purpose of the applicable rules of origin. Otherwise said, the concept of accumulation/cumulation or cumulative rules of origin allows products of one participating country to be further processed or added to products in another participating country of that agreement. The nature and extent of such cumulation is defined in an agreement and may vary from agreement to agreement. Cumulation can be bilateral, regional, diagonal, etc.
- ix. **Indirect/Neutral elements** refer to material used in the production, testing or inspection of goods but not physically incorporated into the goods, or material used in the maintenance of buildings or the operation of equipment associated with the production of goods. For example, energy and fuel, plant and equipment, goods which do not enter into the final composition of the product, etc. Depending upon the trade agreement, these elements may be treated as originating or non-originating.
- x. **Rule on treatment of packages and packing materials for retail sale:** Such rule provides the manner in which such material will be treated while calculating qualifying value content or tariff shift.
- xi. **Direct Consignment:** Most agreements lay down the condition that good claiming originating status of a country should be directly transported from that country to the importing country. Certain relaxation may be provided in a trade agreement, subject to presentation of certain documents.



Section II

(To be filled after filing of Bill of Entry)

(a) **Name of the importer:**(b) **Bill of Entry (B/E)No. and Date:**(c) **Customs Station where B/E was filed:**(d) **Goods on which preferential rate of duty has been claimed:**

Sl.no.	Description	Classification (8 digit)

Section III

(This information should be possessed before import of goods)

Part A:

1. Briefly describe the production process undertaken in country of origin with respect to production of the imported good. Also, state which of the originating criteria prescribed in the Rules of Origin has been claimed. For example, WO, RVC + CTH/CTSH or CTH or CC or RVC, etc.

[WO: Wholly Obtained; RVC: Regional Value Content; CTH: Change in Tariff Head; CTSH: Change in Tariff Sub-Head; CC: Change in Chapter]

Note 1: Where the good is claimed to be “Wholly Obtained”, mention the process through which it is claimed to fall under this category. Each trade agreement lists out such processes under a specific rule and may vary from agreement to agreement.

Examples:

- *goods obtained by hunting or trapping within the land territory, or fishing or aquaculture conducted within the internal waters or within the territorial sea of the Party;*
- *goods produced on board factory ships from the goods referred to in preceding paragraph, provided that such factory ships are registered or recorded with a Party and fly its flag.*

Note 2: If the goods are not wholly obtained, the manufacturing/processing undertaken in country of origin must be ascertained.

Description of goods	Production process	Originating Criterion
1.		
2.		

Part B:

(To be filled if originating criteria is NOT wholly obtained, for each of such good under import, on separate sheets)

1. State the following information for each originating material or component used in production of good subject to this request. If no originating material/components were used, same should be indicated as “None”.

Description of good under import and its classification (8 digit):

Description of the originating Materials or Component	Whether manufactured by producer of final good	Whether procured by producer locally from a third party	In case procured from third party, did producer of final good seek conformation and documentary proof of origin of these component?
	(Yes/No)	(Yes/No)	(Yes/No)
1.			
2.			

Note: If origin of any of the components used in manufacture of final good cannot be ascertained, same should be treated as non-originating.

2.

a.	Is the de minimis provision used to determine whether the good subject to this request qualifies as an originating good?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, describe such material and the percentage value or quantity as applicable.
b.	Is the accumulation/cumulation provision applied to determine whether the good subject to this request qualifies as an originating good?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, describe the manner and extent of cumulation.
c.	Has any other additional criteria such as indirect/neutral materials, packing materials, etc. used in ascertaining whether the good qualifies as an originating good.	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, provide the criteria used: Describe the material concerned:
d.	Is the originating criteria based on value content?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, provide the following: (i) percentage of local value content: (ii) components which constitute value addition (e.g. material, profit, labour, overhead cost, etc.):
e.	Has CTC rule been applied for meeting originating criteria?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, provide HS of non-originating material/components used in production of good:
f.	Has process rule been applied in ascertaining origin of good subject to this request?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, provide the rule applied:
g.	Has the CoO been issued retrospectively?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If yes, provide reasons for same:
h.	Has the consignment in question been directly shipped from country of origin?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No If not, then has it been ascertained that same is as per provisions of the concerned agreement? How has it been ascertained that goods have met the prescribed conditions of Direct Shipment?

[F. No. 15021/18/2020(ICD)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.